

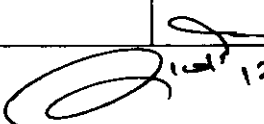
**बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग**

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 12/01/2026

संख्या-14/पें०-308/2025- 789 /सा०प्र०-सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-19300, दिनांक-13.10.2023 एवं अधिसूचना सं०-18775, दिनांक-04.10.2025 में निहित प्रावधान के तहत दिनांक-11.04.2019 से 13.10.2023 के बीच बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-13) सहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के अधीन अनुमान्य उच्चतर पदों के वेतनमान का वैचारिक लाभ दिया जाता है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम, गृह जिला,	वर्तमान कोटि	मूल कोटि की वरीयता क्रमांक (सिविल लिस्ट, 2011/2019 के अनुसार)	सेवानिवृत्ति की तिथि (वैचारिक रूप से अनुमान्यता)	वास्तविक देयता की तिथि (दिनांक-04.10.25)
1	2	3	4	5	6
1.	अशोक कुमार, नवादा	अपर समाहर्ता	677 / 155	31.10.21	04.10.25
2.	विनय कुमार मंडल, अररिया	अपर समाहर्ता	690 / 167	31.01.23	04.10.25
3.	राजीव कुमार, पटना	अपर समाहर्ता	705 / 180	30.06.21	04.10.25
4.	सुनील कुमार झा, दरभंगा	अपर समाहर्ता	706 / 181	31.07.21	04.10.25
5.	राम निरंजन सिंह, बेगुसराय	अपर समाहर्ता	707 / 182	31.01.21	04.10.25
6.	कुमार संजय प्रसाद, पटना	अपर समाहर्ता	712 / 185	30.06.22	04.10.25
7.	देवेन्द्र प्रसाद तिवारी, बक्सर	अपर समाहर्ता	717 / 190	31.01.23	04.10.25
8.	राकेश कुमार, भागलपुर	अपर समाहर्ता	721 / 194	30.09.23	04.10.25
9.	ओम प्रकाश, औरंगाबाद	अपर समाहर्ता	724 / 196	28.02.23	04.10.25
10.	विजय कुमार उपाध्याय, पटना	मूल कोटि	756 / 226	31.01.22	04.10.25

 12/01/2026

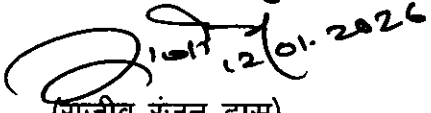
11.	सन्तोष कुमार श्रीवास्तव, पूर्वी चम्पारण	अपर समाहर्ता	761 / 230	31.07.22	04.10.25
-----	---	--------------	-----------	----------	----------

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 एवं अधिसूचना सं0-18775, दिनांक-04.10.2025 में निहित शर्तों के अधधीन है।

3. उपर्युक्त सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को उक्त लाभ वैचारिक रूप से अनुमान्य किया जायेगा, इसलिए इस क्रम में सेवाकाल में किसी भी प्रकार का अनुमान्य बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा। इस आधार पर मात्र पेंशन का पुनर्निर्धारण दिनांक-04.10.2025 से करते हुए पेंशन का भुगतान अनुमान्य होगा।

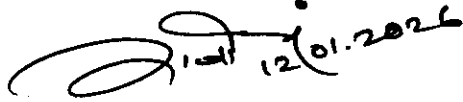
4. विभागीय अधिसूचना-18775, दिनांक-04.10.2025 के आलोक में उपर्युक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के अधीन अनुमान्य उच्चतर पदों के वेतनमान का वैचारिक लाभ/पेंशन पुनरीक्षण संबंधी कार्य महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना के स्तर से अपेक्षित होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(राजीव रंजन दास)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-14/पें0-308/2025- 789 /सा0प्र0 पटना-15, दिनांक- 12/01/2026
प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना/सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारी/प्रबंधक, आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट एवं संबंधित पदाधिकारी के सेवा इतिहास पोर्टल पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 8, 12, 27 एवं 29 (बि0प्र0से0 चारित्री कोषांग), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।